भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1104-

उत्तर देने की तारीख-10/0202/25

कोचिंग संस्थानों के लिए बनाए गए नियम

1104. **श्री दरोगा प्रसाद सरोज:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में कोचिंग संस्थान चलाने के लिए बनाए गए नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) चल रहे कोचिंग संस्थानों के मालिकों द्वारा प्रसारित किए जा रहे भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) कोचिंग संस्थानों के मालिकों द्वारा वसूली जाने वाली मनमानी फीस के खिलाफ सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले दस वर्षों के दौरान देश के शीर्ष दस कोचिंग संस्थानों के परिणामों का प्रतिशत क्या है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): किसी भी निर्धारित नीति या विनियमन के अभाव में देश में अनियमित निजी कोचिंग केंद्रों की संख्या में वृद्धि; ऐसे केंद्रों द्वारा छात्रों से अत्यधिक शुल्क वसूलने की घटनाएं; छात्रों/अभिभावकों को कोचिंग केंद्र में प्रवेश दिलाने के लिए रैंक या अच्छे अंक देने का झूठा वादा या गारंटी देना और इन केंद्रों द्वारा अपनाए जा रहे कई अन्य कदाचारों, को ध्यान में रखते हुए; उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय (एमओई) ने दिनांक 16.01.2024 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोचिंग सेंटर के विनियमन हेतु दिशानिर्देश परिचालित किए हैं। इसके पश्चात दिनांक 16.07.2024 को उत्तर प्रदेश राज्य सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुवर्ती कार्यवाही हेतु एक और पत्र भेजा गया है। चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को उपयुक्त कानूनी रूपरेखा के माध्यम से आगे की कार्रवाई करने की आवश्यकता है। कोचिंग केंद्रों के विनियमन संबंधी दिशा-निर्देश https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/Guidelines_Coaching_Centres_en.pdf पर उपलब्ध हैं।

इन दिशा-निर्देशों में कई प्रमुख पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें कोचिंग केन्द्रों को परिभाषित करना, पंजीकरण के लिए शर्तें और आवश्यक दस्तावेज विनिर्दिष्ट करना; कोचिंग केन्द्रों की स्थापना के लिए बुनियादी अवसरंचना की पूर्वापेक्षाओं को रेखांकित करना; पाठ्यक्रमों/ पाठ्यचर्या के लिए ली जाने वाली फीस उचित और युक्तिसंगत होनी चाहिए; किसी भी परिस्थिति में पाठ्यक्रम के दौरान शुल्क में वृद्धि नहीं की जाएगी; आसान निकास नीति और आनुपातिक आधार पर शुल्क की वापसी; संस्थानों/स्कूलों में भी पढ़ रहे छात्रों के लिए कोचिंग कक्षाएं उनके संस्थानों/स्कूलों के समय के दौरान आयोजित नहीं की जाएंगी ताकि ऐसे संस्थानों/स्कूलों में उनकी नियमित उपस्थिति अप्रभावित रहे और डमी स्कूलों से भी बचा जा सके, शामिल हैं। इन दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान है कि कोई भी कोचिंग केंद्र कोई भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा। इन दिशा-निर्देशों में कोचिंग केन्द्रों की गतिविधियों की निरंतर निगरानी; शिकायत तंत्र शुरू करना और उसका निपटारा; दंड; पंजीकरण रद्द करने और अपील आदि की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि, निजी कोचिंग और ट्यूशन कक्षाओं को विनियमित करने के लिए कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने कानून तैयार किए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अधिनियम, 2002 भी शामिल है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को झूठे या भ्रामक विज्ञापनों को रोकने और विनियमित करने का अधिकार है जो सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने कोचिंग केंद्रों द्वारा भ्रामक विज्ञापन के विरुद्ध कार्रवाई की है। इस संबंध में, सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए विभिन्न कोचिंग सेंटरों को 46 नोटिस जारी किए हैं। सीसीपीए ने 23 कोचिंग संस्थानों पर 72 लाख 60 हज़ार का जुर्माना लगाया है और उन्हें भ्रामक विज्ञापन बंद करने का निर्देश दिया है।

कोचिंग क्षेत्र में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, सीसीपीए ने कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों के मुद्दे का समाधान करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश 2024 का उद्देश्य छात्रों और आम जनता को कोचिंग केंद्रों द्वारा आमतौर पर अपनाई जाने वाली भ्रामक मार्केटिंग पद्धतियों से बचाना है।

इन सीसीपीए दिशा-निर्देशों में यह भी प्रावधान है कि कोचिंग में शामिल कोई भी व्यक्ति विज्ञापन में बिना अभ्यर्थी की लिखित सहमति के सफल अभ्यर्थी का नाम, फोटो, प्रशंसापत्र या वीडियो का उपयोग नहीं करेगा। ये दिशा-निर्देश उपभोक्ता मामलों के विभाग की वेबसाइट https://consumeraffairs.nic.in/sites/default/files/file-uploads/latestnews/Guidelines%20for%20Prevention%20of%20Misleading%20Advertisement%20in%20Coaching%20Sector%2C%202024.pdf पर उपलब्ध हैं।

कोचिंग सेंटर, जो निजी संस्थान/ संस्थापन हैं, समवर्ती सूची का विषय होने के कारण शिक्षा के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

*****